सुरिंदर शुक्ला

बनाम

भारत का संघ

(सी. ए. सं. 250/2008)

9 जनवरी, 2008

[एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.]

सशस्त्र बलः

पदोन्नति- अपीलार्थी- लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल के पद पर कई बार पदोन्नति योग्य माना गया- ऐसे सभी अवसरों पर उन्हें चयनित नहीं किया गया- उनके द्वारा दायर शिकायतों को खारिज कर दिया गया- पदोन्नति के लिए पात्रता की प्रार्थना करते हुए अपीलार्थी द्वारा लिखित याचिका- इस आधार पर कि उनका सेवा रिकॉर्ड उनके सहयोगियों की तुलना में बेहतर था जो उन्हें हटा रहे थे- खारिज- का औचित्य- अभिनिर्धारित किया गयाः न्यायसंगत- चयन बोर्ड ने नाम की सिफारिश नहीं की थी- पदोन्नति के लिए अपीलार्थी की, जिसे सेना प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया गया था- न्यायालय निर्णय की योग्यता में प्रवेश करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता- इसके अलावा, चयन बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ दुर्भावना का कोई आरोप नहीं था- अपीलकर्ता के सहकर्मी जिन्होंने

उसे हटा दिया था, उन्हें भी रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था- उनकी अनुपस्थिति में, रिट याचिका पर प्रभावी ढंग से निर्णय नहीं लिया जा सकता था- पदोन्नति के मामले में अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू विचार सैन्य सेवाओं पर लागू नहीं हो सकते हैं- प्रशासनिक कानून- न्यायिक समीक्षा- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226- सेवा कानून।

अपीलार्थी लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए कई बार विचार किया गया था लेकिन उनका चयन नहीं किया गया। उनके द्वारा दायर शिकायतों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने यह कहते हुए रिट याचिका दायर की कि उसे पदोन्नत किया जाना चाहिए था क्योंकि उसका सेवा रिकॉर्ड उसके सहकर्मियों की तुलना में बेहतर था, जिन्होंने उसे हटा दिया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। अत: वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1.1 'कर्नल' का पद एक चयन पद है। इसके लिए बड़ी संख्या में कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे: i) संबंधित रैंक के अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रोफ़ाइल; ii) युद्ध रिपोर्ट; iii) अपनी सेवा के दौरान अधिकारियों द्वारा अर्जित युद्ध पुरस्कार और सम्मान; iv) अधिकारी द्वारा किया गया व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के दौरान उसका प्रदर्शन

और उसमें प्राप्त ग्रेडिंग; v) विशेष उपलब्धियाँ और कमजोरियाँ; vi) मानदंड कमांड/कर्मचारी नियुक्तियों सहित अधिकारियों द्वारा आयोजित नियुक्तियाँ; vii) अनुशासनात्मक पृष्ठभूमि और दंड और viii) अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए लगातार सिफारिशों सहित रोजगार और क्षमता। [पैरा 9] [454-ई, एफ, जी, एच; 455-ए, बी]

1.2 तुलनात्मक बैच योग्यता को ध्यान में रखते हुए, यदि चयन बोर्ड ने कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश नहीं की, जिसे सेना प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया गया प्रतीत होता है, तो यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाली अदालत के लिए नहीं है कि वह निर्णय की योग्यता में प्रवेश करें। चयन बोर्ड का गठन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक अधिकारी ने की थी। [पैरा 10] [455-बी, सी]

1.3 इसके अलावा अपीलकर्ता ने चयन बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ कोई दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया। चयन बोर्ड को उनके मामले की अनुशंसा न करने के लिए किसने मजबूर किया लेकिन अन्य दो अधिकारियों के नाम ज्ञात नहीं हैं। [पैरा 10] [455-डी, ईजे]

1.4 अपीलकर्ता के जिन सहकर्मियों ने उसका स्थान लिया था, उन्हें भी रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। उनकी

अनुपस्थिति में, रिट याचिका पर प्रभावी ढंग से निर्णय नहीं लिया जा सकता था। [पैरा 11] [455-ई, एफ]

भारत संघ व अन्य बनाम लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह कादयान व अन्य (2000) 5 स्केल 327 और अमरीक सिंह बनाम भारत संघ व अन्य (2001) 10 एस. सी. सी. 424- पर भरोसा किया गया।

2. इस प्रकृति के मामले में रक्षा सेवाओं की विशेष आवश्यकताओं की विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पदोन्नति के मामले में जो विचार अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, उन्हें सैन्य सेवाओं में लागू नहीं माना जा सकता है। [पैरा 14] [456–सी]

लेफ्टिनेंट कर्नल के. डी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1989 एससी 1393: 1989 पूरक (1) एस. सी. सी. 416]- पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 250/2008

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3639/2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.1.2007 से।

सुरिंदर शुक्ला, व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी।

किरण भारद्वाज और बी. के. प्रसाद (डी. एस. मेहरा के लिए) प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यहां अपीलकर्ता को आर्मी एजुकेशन कोर में कमीशन दिया गया था। वह उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर थे। उन्हें कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था लेकिन उनका चयन नहीं किया गया। उन्होंने एक गैर-वैधानिक शिकायत दर्ज की, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 10.11.1997 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। पदोन्नति के लिए पहली समीक्षा दिसंबर, 1998 में आयोजित की गई लेकिन उन्हें फिर भी पदोन्नत नहीं किया गया। उनकी वैधानिक शिकायत को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया।

दिसंबर, 2000 में एक बार फिर पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार किया गया लेकिन उन्हें इसके लिए योग्य नहीं पाया गया। इसके बाद उन्होंने कई वैधानिक शिकायतें दर्ज कीं। दिनांक 6.07.2004 के एक आदेश द्वारा, उनकी वैधानिक शिकायत दिनांक 16.02.2004 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया:

> "आईसी-30957 एन लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र शुक्ला, एईसी द्वारा पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध न किए जाने के खिलाफ दिनांक 16 फरवरी 2004 की वैधानिक शिकायत को इस मुख्यालय में उपलब्ध उनकी शिकायतों के संबंध में अन्य

प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ देखा गया है। यह देखा गया है कि वर्तमान शिकायत उन्हीं एसबी के खिलाफ दूसरी शिकायत है, जिसमें मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कोई नया तथ्य नहीं है। इसके अलावा, ब्रिगेडियर जेके नागपाल बनाम भारत संघ और अन्य के डब्लूपी संख्या 2229/2003 में माननीय मप्र उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 जुलाई 2003 को, अधिकारी द्वारा अपनी शिकायत में ताजा तथ्यों के रूप में उद्धृत किया गया है, जो अधिकारी के मामले में इस मुख्यालय द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार लागू नहीं है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सांविधिक शिकायत दिनांक 16 फरवरी 2004 को असंधारणीय घोषित किया जाता है और इस पर इस मुख्यालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। अधिकारी तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।"

3. उक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

4. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपीलकर्ता की रिट याचिका में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया:

"क्योंकि याचिकाकर्ता का करियर प्रोफाइल बेदाग है और याचिकाकर्ता की जगह लेने वाले उसके सहकर्मियों की तुलना में बेहतर है। ऐसे दो अधिकारी हैं:

नाम	**सेवा नं.**
कर्नलए.पी.एस.पंवार	आईसी30661-पी
(याचिकाकर्ता से एक रैंक ऊपर)	
कर्नल वी.के. सिन्हा	आईसी30972-एच
(याचिकाकर्ता से एक रैंक नीचे)	

इसलिए यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के साथ इन अधिकारियों के कैरियर प्रोफाइल का तुलनात्मक अध्ययन वर्तमान रिट याचिका पर निर्णय लेने में बहुत मदद कर सकता है।"

5. भारत संघ ने अपने जवाबी-हलफनामे में अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया कि:

"2. एसीआर में अधिकारियों का मूल्यांकन किसी भी समय एसएओ 3/एस/89 (जिसे अब सेना आदेश 45/2001 द्वारा

प्रतिस्थापित कर दिया गया है) और अन्य प्रासंगिक नीतियों द्वारा विनियमित किया गया था।ग्रेडिंग 1 से 9 तक संख्यात्मक होती है (कुल मिलाकर व्यक्तिगत गुणों और विभिन्न गुणों में प्रदर्शन चर के रूप में) और कलम चित्र के रूप में भी। किसी भी एसीआर में एक अधिकारी के संपूर्ण मूल्यांकन में तीन अलग-अलग रिपोर्टिंग अधिकारियों का मूल्यांकन शामिल होता है जिनका मूल्यांकन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है।

3. चयन रैंक पर पदोन्नति के लिए एक अधिकारी पर विचार करते समय चयन बोर्ड कई कारकों को ध्यान में रखता है जैसे युद्ध/संचालन रिपोर्ट, पाठ्यक्रम रिपोर्ट, कमांड और स्टाफ नियुक्तियों में एसीआर प्रदर्शन, सम्मान और पुरस्कार, अनुशासनात्मक पृष्ठभूमि, और न केवल एसीआर। या एक/कुछ एसीआर इत्यादि। चयन/अस्वीकृति एक अधिकारी की समग्र प्रोफ़ाइल और चयन बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए गए बैच के भीतर तुलनात्मक योग्यता पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने चयन बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए गए अपने समग्र प्रोफ़ाइल के आधार पर ग्रेड नहीं बनाया। कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की उपयुक्तता का आकलन करना चयन बोर्ड पर निर्भर था..."

आगे यह कहा गया:

"4. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए नंबर 3 चयन बोर्ड द्वारा निम्नानुसार विचार किया गया था:-

देखिए	वर्ष	परिणाम
(i) ताजा मामला	जून 97 'जेड'	गैर-सूचीबद्ध
(ii) पहली समीक्षा	दिसम्बर 97	वापस लिया गया
(iii) अंतिम समीक्षा	जून 98	वापस लिया गया
(iv) पहली समीक्षा	दिसम्बर 98 'जेड'	गैर-सूचीबद्ध
(v) अंतिम समीक्षा	दिसंबर 2000	गैर-सूचीबद्ध"

6. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ यह तर्क किया कि उनके सेवा रिकॉर्ड उनके बैचमेट्स की तुलना में बेहतर हैं अर्थात्, कर्नल ए. पी. एस. पंवार और कर्नल वी. के सिन्हा की तुलना में, उन्हें पदोन्नत किया जाना चाहिए था।

7. भारत संघ ने उक्त तीन अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। हमने रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

8. यद्यपि अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड कर्नल ए. पी. एस. पंवार और कर्नल वी. के. सिन्हा से बेहतर प्रतीत होते हैं, विचार के लिए यह प्रश्न

उठता है कि क्या उच्च न्यायालय उनके द्वारा मांगी गई राहत देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता था।

हम देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा एक और तर्क उठाया गया था, अर्थात, प्रतिकूल टिप्पणी, यदि कोई हो, उसे सूचित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि उन्हें इस पद पर नहीं चुना गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पदावनत कर दिया गया है।

हालाँकि, हमने यहाँ पहले ही ध्यान दिया है कि नोटिस इस न्यायालय द्वारा सीमित आधार पर जारी किया गया था।

9. 'कर्नल' का पद एक चयन पद है। इसके लिए बड़ी संख्या में कारकों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, अर्थात्:

(i) संबंधित रैंक के अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रोफ़ाइल।

(ii) युद्ध की रिपोर्ट

(iii) अधिकारियों द्वारा अपनी सेवा के दौरान अर्जित युद्ध पुरस्कार और सम्मान।

(iv) अधिकारी द्वारा किया गया व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के दौरान उसका प्रदर्शन और उसमें प्राप्त ग्रेडिंग।

(v) विशेष उपलब्धियाँ और कमजोरियाँ।

(vi) मानदंडों सहित अधिकारियों द्वारा की गई नियुक्तियाँ कमांड/कर्मचारियों की नियुक्तियाँ।

(vii) अनुशासनात्मक पृष्ठभूमि और दंड।

(viii) अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए लगातार सिफारिशों सहित रोजगार और क्षमता।

10. तुलनात्मक बैच योग्यता को ध्यान में रखते हुए, यदि चयन बोर्ड ने कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश नहीं की है, जिसे सेनाध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है, तो यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय के लिए नहीं है कि वह निर्णय की योग्यता में प्रवेश करे। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि चयन बोर्ड को उनके द्वारा विचार किए जाने वाले उम्मीदवारों की पहचान के बारे में भी जानकारी नहीं थी क्योंकि केवल सदस्य डेटा शीट में चयन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले उम्मीदवारों की सभी जानकारी दी गई है, लेकिन पहचान अधिकारियों का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलार्थी ने चयन बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ किसी भी दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया।

इसके अलावा अपीलकर्ता ने चयन बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ कोई दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया। चयन बोर्ड को उनके मामले की अनुशंसा

न करने के लिए किसने मजबूर किया लेकिन अन्य दो अधिकारियों के नाम ज्ञात नहीं हैं।

11. उक्त कर्नल ए. पी. एस. पंवार और कर्नल वी. के. सिन्हा को इसके अलावा रिट याचिका में पक्षकारों के रूप में शामिल नहीं किया गया। उनकी अनुपस्थिति में, रिट याचिका पर प्रभावी ढंग से निर्णय नहीं लिया जा सकता था।

12. भारत संघ और अन्य में बनाम लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह काद्यान और एक अन्य [2000 (5) स्केल 327: (2000) 6 एससीसी 698], में यह अभिनिर्धारित किया गया:

> ".....यह प्रशासनिक कानून का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जब प्रासंगिक विचारों पर ध्यान दिया गया है और अप्रासंगिक पहलुओं को विचार से हटा दिया गया है और किसी भी प्रासंगिक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया गया है और प्रशासनिक निर्णय रिकॉर्ड पर तथ्यों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे गुण दोषों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायिक समीक्षा केवल इस हद तक ही स्वीकार्य है कि यह पता लगाया जा सके कि निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया है या नहीं, निर्णय के लिए नहीं। मामले को देखते हुए, हमारा मानना है

कि उच्च न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।"

13. उक्त विचारों को अमरीक सिंह बनाम भारत संघ और अन्य [(2001) 10 एस. सी. सी. 424] में दोहराया गया है।

14. इस प्रकृति के मामले में रक्षा सेवाओं की विशेष आवश्यकताओं की विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पदोन्नति के मामले में जो विचार अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, उन्हें सैन्य सेवाओं में लागू नहीं माना जा सकता है। [लेफ्टिनेंट कर्नल के. डी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1989 एससी 1393: 1989 पूरक (1) एस. सी. सी. 416 देखें]

15. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई गुणावगुण नहीं है, यह तदनुसार खारिज की जाती है। हालांकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के विषय में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.बी.बी.

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऐश्वर्या एस.अग्रवाल, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।